इकाई 26

प्रवासन

इकाई की रूपरेखा

26.1 प्रस्तावना

26.2 प्रवासन का अर्थ

26.3 प्रवासन की व्याख्या

26.4 प्रवासन के प्रकार

26.5 प्रवासन प्रवाह

26.6 प्रवासन के कारक

26.7 प्रवासन का प्रभाव

26.8 प्रवासन प्रवृत्तियाँ

26.9 निष्कर्ष

26.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई आपको निम्नलिखित बातें समझने में मदद करेगी :

- प्रवासन का क्या अर्थ है और प्रवासन विषयक विभिन्न व्याख्याएँ;
- विभिन्न प्रकार के प्रवासन और प्रवासन में सम्मिलित कारक; और
- प्रवासन के प्रवाह एवं उनका प्रभाव।

26.1 प्रस्तावना

मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वह बेहतर जीवन की तलाश में अथवा कभी-कभी बाध्यतावश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। पूरे इतिहास में उसके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के प्रमाण मिलते हैं। इस शताब्दी में जहाँ भूमण्डलीकरण ने दूरस्थ स्थानों को पहले से कहीं अधिक जुड़ा हुआ बना दिया है, प्रवासन एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण बन गया है। यहाँ प्रवासन की दृश्यघटना संबंधी एक समझ विकसित करने का प्रयास किया गया है। यह आमतौर पर माना जाता है कि प्रवासन जन समुदाय परिवर्तन की और प्रवृत्त करने सबसे महत्वपूर्ण कारकों में एक है। बेशक दुनिया भर में जनसमुदाय भौगोलिक क्षेत्र में बसा हुआ है, मानव स्थान-परिवर्तन अथवा आवास-परिवर्तन में लगा ही रहता है। ऐतिहासिक अभिलेख दर्शाते हैं कि लोग सदियों पुरानी चलवासिता या खाना-बदोशी से काफी पहले ही किनारा कर चुके थे और तदोपरांत स्थान-स्थान पर विभिन्न कारणों से घूमते रहे हैं। प्रवासन हेतु कारण भिन्न-भिन्न और व्यक्ति जन एवं परिवारों के प्रति विशिष्ट हो सकते हैं।

इस इकाई में आप पायेंगे भारत के विशेष संदर्भ में प्रवासन प्रक्रिया का अर्थ एवं उद्गम। प्रथम पाठांश में आर्थिक विकास के संदर्भ में प्रवासन की अवधारणा पर चर्चा है। दूसरे पाठांश में प्रवासन को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किए जाने का प्रयास किया गया है। तीसरे पाठांश में आंतरिक एवं बाह्य प्रवासन के उदाहरणों पर चर्चा है। चौथे पाठांश में

प्रवसन की एक कारक-विषयक श्रृंखला मिलेगी। तथापि, प्रवसन शहरों में मुख्यतः उपलब्ध आर्थिक अवसरों द्वारा अभिप्रेरित होता है। अनेक सामाजिक कारक भी होते हैं जो प्रवासन में भूमिका निभाते हैं। सर्वोत्तम उदाहरण है महिलाओं का विवाह पश्चात अपने माता-पिता के घर से अपने पति के घर चले जाना। विवाह पश्चात् प्रवासन हेतु एक जनसांख्यिकीय कारक भी है। एक निश्चित आयु-वर्ग में तथाकथित रूप से अधिशेष श्रमिक बल अपने निवास/जन्म स्थान से निकल कर नजदीक के कस्बों/नगरों अथवा सुदूर शहरों में चले जाते हैं, जोकि प्रतीयमानतः उन्हें एक बेहतर भविष्य का भरोसा दिलाते हैं। पाँचवें पाठांश में उद्गम स्थलों एवं गंतव्य-स्थलों पर प्रवासन के प्रभाव पर चर्चा है। ये क्षेत्र जनसंख्या संरचना पर प्रवासन का प्रभाव दर्ज कराते हैं। अंतिम पाठांश में भारत के विशेष संदर्भ के साथ सामान्यतया विश्व में प्रवासन प्रवृत्तियों पर चर्चा है। अंतरा-अंतःराज्यीय एवं अंतर-राज्यीय प्रवासन की व्याप्ति एवं दिशा को इंगित करते जनसंख्या-अभिलेखों में सांख्यिकीय सामग्री उपलब्ध है।

26.2 प्रवासन का अर्थ

प्रवासन शब्द का अर्थ है भौगोलिक क्षेत्र में पशुओं और पक्षियों जैसे जीवों का संचालन। यह एक स्थान से दूसरे स्थान को, व्यक्तिगत रूप से आवास समूहों में, लोगों के संचलन की ओर भी संकेत करता है। प्रवासन का, तदनुसार, अर्थ हुआ आवास का परिवर्तन। प्रवासन की दूरी, दिशा एवं अवधि महत्वपूर्ण नहीं होतीं, फिर भी इन तीनों में से कोई भी कारक किसी देश में प्रवासन की प्रकृति को पुनर्परिभाषित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

ऐसे अनेक कारक हैं जो लोगों को प्रवासन के लिए प्रेरित करते हैं। ये कारण आर्थिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक हो सकते हैं। जब लोग किसी देश के भीतर ही भीतर प्रवासन करते हैं तो इसे **आंतरिक प्रवासन** कहा जाता है। जब प्रवासन में किसी देश-विशेष की सीमाओं को पार करना शामिल हो तो उसे **अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन** कहा जाता है। विश्व के नवीन इतिहास में जनसमुदायों के बड़े हिस्सों का लम्बी दूरियों तक प्रवसन देखा गया है। उदाहरण के लिए, यहूदी जर्मनी से विश्व के अन्य भागों में चले गए ताकि वे हिटलर के नाजीवादी शासन-व्यवस्था के तहत अत्याचारों से बच सकें। नवीन विश्व इतिहास में वृहद-स्तरीय प्रवासन का एक अन्य उदाहरण ब्रिटिश भारत के विभाजन और 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात् लोगों का संचलन है। पाकिस्तान के नव-निर्मित राज्य में हिंदुओं और सिखों ने भारत की ओर प्रवासन किया। बदले में भारत के मुसलमान पाकिस्तान चले गए। अनुमान है कि 1947-1950 की अवधि में एक करोड़ लोग पाकिस्तान से भारत आए और 75 लाख मुस्लिम भारत से पाकिस्तान चले गए।

जैसा कि विदित ही है हर दस साल में जनगणना की जाती है। यह परम्परा विश्व के सभी देशों द्वारा अपनाई जाती है। भारत में, उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश से ही जनगणना दशक आधार पर कराई जाती रही है। नवीनतम जनगणना 2001 में कराई गई थी। जनगणना की परिभाषा के अनुसार, प्रवासी वह है जो जनगणना के समय अपने जन्म-स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर परिणगित किया गया/ की गई हो। उसके निवास के वर्तमान स्थान पर उसका रुकना कितनी भी अवधि का हो सकता है — अल्प या दीर्घ। जनांकिकीकार आमतौर पर अंतर्मुखी यानी अंदर की ओर प्रवासन को आप्रवास (immigration), और बहिर्मुखी अर्थात् बाहर की ओर प्रवासन को उत्प्रवास (emigration) कहते हैं। यह स्पष्ट है कि प्रवसन भौगोलिक क्षेत्र में फैलाव के अनुसार जनसंख्या के अभिलक्षण में बदलाव का एक महत्वपूर्ण कारक है।

जैसा कि पहले कहा गया, विश्व में अधिकांश सरकारें हर दस वर्ष बाद जनसमुदाय की गणना करवाती है। आँकड़े विभिन्न पहलुओं पर एकत्र किए जाते हैं, जैसे जन्म-स्थान,

और किसी जनगणना-विशेष के समय परिगणना का स्थान। यह देश के भीतर अथवा बाहर प्रवासन के अध्ययनार्थ अत्यावश्यक सूचना होती है। प्रवासी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक सीमा-विशेष के पार जा चुका हो, चाहे वह कोई मौजा (राजस्व ग्राम), या फिर कोई नगरीय सीमा, कोई तहसील, कोई जिला, कोई राज्य, अथवा कोई देश। तय की गई दूरी और जन्म-स्थान से दूर, आवास के एक नए क्षेत्र में उस सीमा के पार व्यतीत की गई क्षमतावधि — दोनों ही प्रवासियों के अभिलक्षणों को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण कारक हैं।

26.3 प्रवासन की व्याख्या

समाजशास्त्रियों, जनांकिकीकारों एवं भूशास्त्रियों ने प्रवासन के अध्ययन पर अपना ध्यान केंद्रित किया है ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान को लोगों के संचालन के किसी स्वरूप-विशेष के निहितार्थों को समझा जा सके। प्रवासन जनसंख्या संयोजन में बहुआयामी परिवर्तनों में परिणत होता है — नृजातीय, नृजाति-भाषायी, धार्मिक, जनसंख्याकीय, सांस्कृतिक एवं आर्थिक। स्वयं प्रवासियों के संरचनात्मक संदर्भ का प्रवासन एवं प्रवासी होने का क्या अर्थ है, से संबंध है।

प्रवासन विषयक अधिकांश व्याख्याओं में जनसांख्यिकीय पहलुओं पर काफी अधिक ध्यान दिया गया है। साथ ही, वे प्रवासन को दबाव एवं खिंचाव (push and pull) के शब्दों में स्पष्ट करने को प्रवृत्त रही है। आशीष बोस, उदाहरण के लिए, भारत में प्रवासन ग्रामीण से शहरी की ओर एक जनसंख्यिकीय परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट करते हैं। दबाव कारक जो उद्गम-स्थलों में प्रभावी होते हैं, इस उदाहरण में ग्रामीण क्षेत्रों में, संसाधनाभाव, बेरोजगारी, जनसंख्याधिक्य, सूखा अथवा बाढ़ या ऐसी ही अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण होते हैं, अनिवार्यतः ऐसे सभी कारक जो एक शालीन जीवन स्तर को असंभव बनाते हैं। शहरों के खिंचाव कारक अनेक हैं — रोजगार, अवसर, मनोरंजन, शिक्षा सुविधाएँ, व्यापार केंद्र, संस्थागत प्रतिष्ठान, अवसरों की उपलब्धता, धर्मनिरपेक्ष वातावरण आदि। आशीष बोस का कहना है कि दबाव एवं खिंचाव कारकों की व्याख्या समग्र जनसांख्यिकीय संदर्भ में की जानी चाहिए। जनसंख्या में उच्च प्राकृतिक वृद्धि की दशाओं में, न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी (उच्च शहरी जन्मदरों एवं तेजी से गिरती मृत्युदरों के परिणामस्वरूप), दबाव कारक प्रभावी होता है (बोस 1963)। बोस इसे "प्रति दबाव" (push back) कारक कहते हैं। उन्होंने दर्शाया कि बेहतर रोजगार हेतु शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास करने वाले प्रति 10 व्यक्तियां की दर पर 254 व्यक्ति रोजगार की तलाश में आते हैं। एक अन्य प्रकार का दबाव, जिसकी चर्चा बोस ने की है, शहरी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का अभाव है।

प्रवासन विषयक अधिकांश समाजशास्त्रीय अध्ययनों में प्रवासन से संबंधित पहलू का विश्लेषण किया गया है, और साथ ही, इन पहलुओं का भी कि प्रवासन किस प्रकार भौगोलिक क्षेत्रों को प्रभावित करता है और किस प्रकार यह सामाजिक संरचनाओं में परिवर्तन लाता है। भारत में अध्ययन अधिकांश रूप में प्रवासियों हेतु पहचान-परिवर्तन मे मुद्दों पर केंद्रित रहे हैं, इनमें से अधिकांश अध्ययन उस भारतीय प्रवासी-समूह पर संकेंद्रित हैं जो महाद्वीपों के पार गए। जहाँ तक कि आंतरिक प्रवासन का संबंध है, जोकि अधिकांश रूप में ग्रामीण से शहरों की ओर हुआ है, अध्ययनों में उन मुद्दों को शामिल किया गया है जोकि इस बात के वृहत्तर सैद्धांतिक मुद्दों से जुड़े होते हैं कि क्या शहरी भारत के साथ ग्रामीण भारत के सामाजिक संरचनाओं के बीच सातत्य है अथवा क्या इनमें परिवर्तन आते हैं। तदनुसार, डैविड पीकॉक जैसे विद्वानों का कहना है कि शहरी और ग्रामीण सामाजिक संरचनाओं के बीच कोई द्विभाजन नहीं है। इस शोध-प्रबंध पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए,

एम.एस.ए. राव कहते हैं कि यह "गाँव एवं परपंरागत शहर के बीच समरूपताओं का एक अतिसरलीकरण है। अतीत का शहर, उनका दावा है, अधिकतम जातीय गतिविधि हेतु आधार प्रदान करता था। जबकि पीकॉक ने ठीक ही कहा कि शहरीकरण पश्चिमीकरण के साथ सह-लक्ष्य नहीं है, उसमें तथापि, गाँव एवं परंपरागत शहर के बीच समरूपता को अतिसरलीकृत किया। यद्यपि गाँव एवं शहरों, दोनों में धर्म, जाति एवं नातेदारी सामाजिक संगठन के आधार हैं, दोनों संदर्भों में इनकी कारगुजारी में काफी महत्वपूर्ण अंतर है। उदाहरण के लिए, जबकि जजमानी (वंशानुगत सेवाएँ) संबंध गाँवों में प्रचलित थी, महाजन अथवा गण संगठन शहरों में प्रमुखता प्राप्त थे। परंपरागत शहरी संदर्भ में, संस्थागत ढाँचा और प्रतिबंध, जिनमें धर्म, जाति एवं नातेदारी संचालित होते हैं, गाँवों की भाँति नहीं होते" (राव 1991 : 2)।

अधिकांश विद्वान प्रवासन को अनिवार्यतः एक पुरुष-प्रधान दृश्यघटना के रूप में देखते हैं और इसीलिए ऐसे चंद ही अध्ययन हुए हैं जो प्रवासन को एक लिंग परिप्रेक्ष्य से देखते हों। मीनाक्षी थापन अपनी नवीन पुस्तक "ट्रांसनेशनल माइग्रेशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी" में बताती हैं कि "प्रवासन का कोई भी सिद्धांत एक समग्रतापरक परिप्रेक्ष्य के लिए प्रजाति, धर्म, राष्ट्रीयता के लिहाज से ही स्पष्टीकरण दे और लिंग पर, जोकि काफी कुछ प्रवासन विषयक आरंभिक साहित्य संबंधी है, मूक रहता है।" उनका कहना है कि "महिलाओं के प्रवासन संबंधी प्राधारिक शाखा-विस्तार स्वयं प्रवासी महिलाओं के जीवन से परे तक चले गए हैं, तिस पर भी, चूँकि ऐसी महिलाओं का श्रम आप्रवासियों एवं उनके आतिथेयों, दोनों के समाजों में पाए जाने वाले लिंग संबंधों को रूप प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण कारक होता है, इससे अनेक मुद्दों को जैसे लिंग समानता, श्रम का पारिवारिक विभाजन और कल्याणकारी विचारों से जुड़ी राज्ययी नीतियों को समझने के लिए तरीके सामने आते हैं" (थापन 2005 : 17)।

ये प्रवासन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने वाले कछ मुख्य दृष्टिकोण हैं, जिन पर कि ऊपर चर्चा की गई। अगली इकाई में हम प्रवसन के विभिन्न स्वरूपों पर नजर डालेंगे।

26.4 प्रवासन के प्रकार

प्रवासन विभिन्न प्रकार के होते हैं। तथापि, प्रवासन की प्रतीकात्मक व्याख्या के विषय में विद्वानों के बीच कोई सर्वसम्मति नहीं है। इन समरूपों की सामान्यतः परिभाषा इन रूपों में की जा सकती है : चक्रीय अथवा प्रचल, बलात्, अभिप्रेरित, आंतरिक/बाह्य, पूर्वकालीन/आदिम, ऋतुनिष्ठ अथवा आवधिक। त्रेवदा ने पीटरसन का उद्धरण दिया है जिन्होंने प्रवासन के पाँच सामान्य वर्ग बताए थे। ये थे : आदिम, बलात्, अभिप्रेरित, युक्त एवं व्यापक (त्रेवर्दा 1969 : 144)।

चक्रीय अथवा प्रचल प्रवासन

लोगों का आवागमन जिसमें महज निवास का अस्थायी परिवर्तन शामिल हो, आमतौर पर प्रवासन नहीं माना जाता है। इस प्रकार का संचलन चलवासिता अथवा चारागाही खानाबदोशी कहा जाता है। यदि लोगों का यह संचलन दो नियत बिंदुओं के बीच उनके मवेशियों, भेड़ों, बकरियों एवं दुधारू पशुओं — के साथ होता है तो इसे ऋतु प्रवास (transhumance) कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जम्मू-कश्मीर में गुज्जर बकरवाल सर्दियों में पहाड़ियों की तलहटी में रहकर गर्मियों में उच्चभूमि चरागाहों की ओर चले जाते हैं। सर्दियाँ आते ही वे तलहटी स्थित अपने बसेरों की ओर लौट आते हैं। खेतों में काम करने वालों का आवागमन भी एक प्रकार का चक्रीय प्रवसन है क्योंकि वे फसल पकने की ऋतु में ही आते हैं। पर्यटन एवं नियमित यात्रा को भी सामान्यतया प्रवासन नहीं माना जाता है।

कुछ प्रवासन स्वभावतः चक्रीय (cyclic) होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे दोलनों/दौरों के मानिंद होते हैं। लोग दो नियत बिंदुओं के बीच प्रवासन करते हैं। यह वार्षिक चक्र होता है, जोकि उसी वर्ष के भीतर-भीतर पूरा होना होता है। चारागाही खानाबदोश अपने पशुधन के साथ एक प्रचल (circulatory) तरीके से गमन करते हैं : तलहटी में सर्दियाँ और उच्चभूमि चरागाहों में गर्मियाँ। इनके मार्ग और गंतव्य सुस्पष्ट होते हैं। यहाँ हम जम्मू-कश्मीर के गुज्जर बकरवालों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश के गद्दियों का भी उदाहरण ले सकते हैं। इसी प्रकार के प्रवासन मध्य एशिया, अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका, आदि के पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े आम हैं। इन खानाबदोशों को पर्वतमाला के किसी हिस्से विशेष पर चराई अधिकार प्राप्त होते हैं, फिर भी उनका भूमि पर अधिकार नहीं होता। सरकारें उनके आवागमन एवं चराई अधिकारों की रक्षा करती है।

प्रवासन दिशा, दूरी, अवधि एवं आवागमन के पीछे उद्देश्य/गंतव्य के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। प्रवासन को बलात् (forced) अथवा अभिप्रेरित (impelled) की तुलना में स्वतंत्र (free) अथवा स्वैच्छिक (voluntory) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। कुछ प्रवासन दबाव कारकों (push factors) की वजह से होते हैं जबकि अन्य खिंचाव कारकों (pull factors) के प्रति अनुक्रिया की वजह से। असाधारण परिस्थितियों में लोग प्रवासन के लिए बाह्य होते हैं। उदाहरण के लिए, प्राकृतिक आपदाएँ, जैसे बाढ़, सूखा, दावानल, पहाड़ी क्षेत्रों में हिमधाव, और भूकंप, आदि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों से सुरक्षित स्थानों पर भाग जाने के लिए बाध्य करते हैं। अन्य उदाहरणों में, श्रमिक बल अपने गृह-नगरों से निकलकर किसी पड़ोस के नगर अथवा शहर की ओर चला जाता है। ये विशिष्ट दबाव कारक हैं। धारणा यह है कि स्थानीय ग्रामीण श्रमिक बल माँग से कहीं अधिक मात्रा में होता है। परिणामतः योग्य कर्मी गाँव से बाहर चले जाते हैं। इन उदाहरणों में निश्चय ही तथाकथित कारकों की भूमिका होती है। जब बेरोजगार अथवा अंशतः रोजगार प्राप्त ग्रामीणजन को गृह-ग्रामों में अपनी दिहाड़ी या दैनिक आमदनी को बढ़ाने के कोई अवसर नहीं दिखाई पड़ते तो वे सुदूर शहरों की ओर चले जाते हैं, जैसे मुम्बई, दिल्ली, चेन्नई अथवा कोलकाता। ये शहर चुम्बक का काम करते हैं। हम ऐसे आवागमन को खिंचाव कारकों के प्रति अनुक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। बहुधा दबाव और खिंचाव कारक एक साथ काम करते हैं।

सामान्यतया यह माना जाता हैं कि भारत के प्रमुख शहर — औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्र — लोगों को आकर्षित करते हैं। शहरी केंद्रों को अपना कामगार वर्ग तथाकथित बहिर्प्रवासी क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है, यथा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं झारखंड। बड़े शहरों की ओर प्रथम-पीढ़ी अंतर्प्रवासी आने वाली पीढ़ी के लिए आदर्श बन जाते हैं। इसका प्रदर्शन प्रभाव उन्हें उसी स्थान की ओर प्रवास करने को प्रेरित करता है जहाँ उनके पूर्वज पहले से ही अपनी जड़ें जमा चुके हों (पाठक पी. 1995 : 30)।

आंतरिक एवं बाहरी (अंतर्राष्ट्रीय) प्रवासन

प्रवासन को आंतरिक (internal) एवं बाहरी (external) प्रवासन के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। जब लोग अपने जन्म/निवास/अधिवास के भीतर ही प्रवास करते हैं तो इसे **आंतरिक प्रवासन** कहा जाता है। आंतरिक शब्द से यहाँ अर्थ गृह-प्रदेश अर्थात् अपने ही देश की सीमाओं के भीतर आवागमन। जब लोग एक देश से दूसरे देश की ओर आवागमन करते हैं तो इसे **अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन** कहा जाता हैं। इस प्रकार के प्रवासनों में देश की सीमाएँ लाँघा जाना शामिल होती हैं। कभी-कभी प्रेरक शक्ति कोई दबाव कारक होता है। जब लोग बाहर जाते हैं तो प्रवास हेतु उनके वांछित वैकल्पिक स्थानों के बीच सापेक्ष लाभों अथवा हानियों का अवबोधन होता है।

कभी-कभी प्रवासन एक सुविचारित कदम होता है और उसके अंतर में काफी अभियोजना निहित होती है। उदाहरण के लिए, उच्च-कौशल प्राप्त अभियंता, जिनमें सॉफ्टवेयर

इंजीनियर भी शामिल हैं, डॉक्टर, नर्सें एवं परा-चिकित्सीय कर्मी विदेश में बेहतर रोजगार अवसरों की तलाश में भारत से बाहर चले जाते हैं। इस विचार से कि अधिक कमायेंगे। जबकि स्वदेश ऊँची आय हेतु कोई गुंजाइश नहीं रखता है, गंतव्य देश उन्हें आकर्षित करता है और प्रवास करने के लिए प्रेरित करता है। तथापि, इस प्रकार के प्रवसन मूल देशों से योग्यता प्राप्त कर्मियों का अपवहन सिद्ध हो सकते हैं। इस प्रकार, गृह-प्रदेश घाटे में रहता है। दूसरी ओर, गंतव्य देश फायदे में रहता है। खाड़ी के देशों में योग्यता प्राप्त कर्मियों की आवश्यकता रहती है, वो भी उनकी शिक्षा एवं कौशल-सुधार के नाम पर पाई भी खर्च किए बगैर! देखा गया है कि योग्यता/कौशल प्राप्त कर्मी अनुबंध के आधार पर प्रवास करते हैं।

आदिम अथवा आरंभिक प्रवासन

प्रारंभिक/आदिम प्रवसन (Early/Primitive migration) एवं बलात्/अभिप्रेरित प्रवसन (Forced/ impelled migration) के बीच प्रायः भेद किया जाता है। प्रारंभिक प्रवासन, विशेष रूप से प्राग्ऐतिहासिक एवं आरंभिक इतिहास के काल में, एक प्रकार के यादृच्छिक या बेतरतीब आवागमन थे, न कि कोई नियोजन प्रवसन। लोग एक प्रकार की घुमन्तु ललक के कारण अन्यत्र जाते थे। परंतु वे विश्वभर में महाद्वीपों को आबाद करने के लिए उत्तरदायी थे। इन संचलनों ने सभ्यताओं एवं संस्कृतियों की अंतर्मिश्रण प्रक्रिया में भी योगदान दिया है।

बलात् अथवा अभिप्रेरित प्रवासन

जब जन अथवा जनसमूह सूखा, महामारियों, युद्ध, गृह युद्ध, अथवा आंतकित करती तानाशही शासन-व्यवसाओं से उत्पन्न बर्बादी से बचने के लिए अपने गृह-प्रदेश अथवा स्वदेश को छोड़ने का फैसला लेते हों तो इसे बलात् प्रवसन (Forced migration) कहा जाता है। बलात् प्रवासन का एक ताजा उदाहरण है अफगानिस्तान में राजनीतिक बमबारी समेत अमेरिकी-अंग्रेजी सैन्य कार्रवाइयों के दौरान वहाँ से अफगानों का पड़ोस स्थित पाकिस्तान, ईरान और भारत की ओर निष्क्रमण। इसी प्रकार, द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व हिटलर के अधीन जर्मनी में नाजीवादी राज्य व्यवस्था द्वारा जारी उत्पीड़न से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने प्रवास किया। बलात् प्रवासन का एक तुलनीय उदाहरण आयरलैंडवासियों का है, जो 1856-85 के दौरान सूखे की स्थिति से उत्पन्न भुखमरी और मौत से बचने के लिए आयरलैंड से पलायन कर गए। इन प्रवासनों को बलात् इसलिए पुकारा जाता है कि प्रवासियों के पास भाग जाने के सिवा कोई चारा नहीं होता। जब कोई राज्य/देश अपने जनसमुदाय के किसी हिस्से को देश से बाहर चले जाने को बाध्य करता है, जो कि वांछनीय न हो, तो इसे बलात् अथवा अभिप्रेरित प्रवासन (Implelled miration) कहा जाता है।

किन्हीं परिस्थितियों विशेष में प्रवसन व्यापक स्तर पर हो सकता है, जैसे 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत पश्चात् भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत की ओर लाखों लोगों का प्रवासन। बलात् प्रवसन के अन्य उदाहरण भी मिलते हैं, जैसे अपराधियों, राजनीतिक बहुमत-विरोधियों, और धार्मिक अल्पसंख्यकों का निर्वासन। दास-व्यापार के दिनों में लगभग दो लाख अश्वेत अफ्रीकियों को जबरन अमेरिका ले जाया गया था ताकि वे वहाँ स्थित बागानों में श्रमिकों के रूप में काम करें। अनुमान है कि यूरोपीय मूल के लगभग 80 हजार लोग द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्व व उसके दौरान नाजीवादी राज्य व्यवस्था की बंधुआ-मजदूर नीति के तहत यूरोप से बाहर निकाल दिए गए थे।

शरणार्थी स्थानांतरण

इतिहास में बीता हमेशा पुराना नहीं होता। वर्तमान जगत् में भी लोग उत्पीड़न एव आसन्न मृत्यु से बचने के लिए अपने घरों एवं चूल्हों को छोड़ते, और एक देश से दूसरे देश पलायन

करते देखे जा सकते हैं। वे प्रायः पड़ोस के देशों में शरण लेते हैं। वस्तुतः, इन दिनों शरणार्थी देशांतरण (Refugee movements) इतने आम हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए एक विशेष कोष बना दिया है। ये शरणार्थी बेघर और बेरोजगार होते हैं। वे आजीविका के उन सभी साधनों को गँवा चुके होते हैं जो प्रवासन से पूर्व उनका भरण-पोषण करते थे। शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र आयोग उन्हें आर्थिक रूप से मदद देता है और ग्राही देशों की सरकारों से आग्रह करता है कि उन्हें स्थान प्रदान करें। दुर्भाग्यवश, उन्हें तात्कालिक आश्रयों/शिविरों में पुनर्वासित किया जाता है। तथाकथित बिहारी मुसलमान जो 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के तत्काल पश्चात् पूर्वी पाकिस्तान चले गए थे, आज सत्तावन वर्ष बीते जाने पर भी शिविरों में ही रह रहे हैं।

ऋतुनिष्ठ एवं आवधिक प्रवासन

प्रवसन कभी-कभी ऋतुनिष्ठ या मौसमी (seasonal) अथवा आवधिक (periodic) होते हैं। इस प्रकार का प्रवासन मरुस्थलों के उपान्त प्रदेशों अथवा विश्व के अर्ध-शुष्क भूभागों पर रहने वाले चलवासी लोगों के बीच बहुत आम है। त्रेवर्दा लिखती हैं कि कोई दस हजार प्रवासी, अपने परिवारों के साथ, राज्य-सीमाओं के पार उत्तर की ओर वार्षिक तीर्थयात्रा करते हैं क्योंकि विभिन्न फसलों की कटाई अपने चरम पर होती है। उनका मूल स्थान अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में होता है, जैसे न्यूमैक्सिको, टैक्सास, अलाबामा, और जीओर्जिया। इस प्रवासी श्रमिक-बल संबंधी एक अध्ययन दर्शाता है कि वे अधिकांशतः अल्पवयस्क होते हैं, प्रायः पच्चीस वर्ष से भी कम आयु के, जिनमें 70 प्रतिशत लोग पुरुष, और 80 प्रतिशत लोग श्वेत होते हैं। उनकी वापसी यात्रा शरद् ऋतु में पूरी होती है जब फसल-कटाई कार्य समाप्त हो जाता है। तथापि, हालात अब बदल गए हैं और इस प्रकार का प्रवासन कृषि के मशीनीकरण की वजह से घटने लगा है। इस प्रकार के प्रवासन एवं अस्थायी यात्री के बीच अंतर होता है। जनसमुदाय का अल्पकालिक स्थान-परिवर्तन भी एक प्रकार का ऋतुनिष्ठ प्रवासन है। कामगार वर्ग का एक दैनिक स्थान-परिवर्तन भी देखने में आता है। इस प्रकार का स्थान परिवर्तन तब होता है जब लोग अपने आवास-स्थलों से अपने कार्य-स्थलों की ओर आते-जाते हैं। जैसा कि पहले कहा गया, इस प्रकार का प्रवासन दिक्-प्रवासन (commutation) कहलाता है।

प्रवासन आवधिक, वार्षिक, अथवा दैनिक हो सकते हैं। त्रेवर्दा ऐसे आवधिक स्थान-परिवर्तनों का भी उल्लेख करती हैं जो छुट्टियों, मौज़-मस्ती एवं व्यापार से ताल्लुक रखते हैं। परंतु इस प्रकार की आमोद-यात्राएँ विशिष्ट रूप से सुसम्पन्न वर्ग के लोगों के लिए ही अभिलक्षित होती हैं। गरीब तबका इस प्रकार के स्थान-परिवर्तनों का खर्च वहन नहीं कर सकता है। भारत में लाखों लोगों का आवधिक स्थान-परिवर्तन एक सामान्य दृश्यघटना है। ये यात्राएँ पवित्र स्थलों अथवा बड़े मेलों की तीर्थयात्रा से जुड़ी होती हैं, जैसे "कुम्भ का मेला" और "पुष्कर का मेला"। भारत में लाखों लोग धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न करने के लिए नदियों और झीलों में डुबकी लगाने के लिए तीर्थयात्राओं पर जाते हैं।

एक अन्य प्रकार का आवधिक प्रवासन है — किसी व्यक्ति का कुछ वर्षों की अवधि के लिए अपने मूल आवास-स्थान से चले जाना। वह अपने घर आवधिक रूप से ही आता है। इस प्रकार के प्रवासन का मुख्य उद्देश्य होता है अधिक कमाना और अपने मूलस्थान में रह रहे परिवार को रुपया भेजना, ताकि अपने असली घर लौटने पर स्वयं को स्थापित कर सकें। अफ्रीका में ऐसे लोग प्रवासी श्रमिक हैं जो आवधिक रूप से आते-जाते हैं। डब्ल्यू.बी. फिशर लिखते हैं कि "आवधिक प्रवासन कभी-कभी अपने कार्य-स्थल पर स्थायी रूप से बस जाने को लालायित करते हैं। तथापि, प्रारंभ में उनकी नीयत केवल अस्थायी रूप से रहने की ही होती है (त्रेवर्दा 1969 : 144)।

सोचें और करें 26.1

यदि आप किसी शहर में रहते हैं तो पाएँगे कि जीवन के हर स्तर से बड़ी संख्या में लोग देश के विभिन्न भागों में प्रवास कर चुके हैं।

अपने पड़ोस में पता लगाएँ कि कहाँ से किसने प्रवास किया है और किस उद्देश्य से। साथ ही, उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रवासन प्रतिमानों में वर्गीकृत करें।

26.5 प्रवासन प्रवाह

आंतरिक प्रवासन की चर्चा करते समय जनसांख्यिकीविद् एवं जनसंख्या वैज्ञानिक आमतौर पर चार प्रवाहों की पहचान करते हैं। मानदण्ड है जनसमुदाय का मूल स्थानों से गंतव्य-स्थलों की ओर जाने की दिशा। एक ही देश की सीमाओं में रहकर प्रवासन चार मुख्य प्रवाहों को जन्म देता है जो कि इस प्रकार है :

क) ग्रामीण-ग्रामीण प्रवासन प्रवाह

ख) ग्रामीण-शहरी प्रवासन प्रवाह

ग) शहरी-शहरी प्रवासन प्रवाह, एवं

घ) शहरी-ग्रामीण प्रवासन प्रवाह।

ग्रामीण-ग्रामीण प्रवासन प्रवाह

गाँवों में जहाँ अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होती है, लोग फसल-कटाई अथवा फसल-बुवाई अथवा दोनों के लिए एक गाँव से दूसरे गाँव प्रवास करते हैं। यह ग्रामीण-ग्रामीण प्रवसन कहलाता है। समस्या यह होती है कि मूल गाँव में खेतों पर काम के अवसर नहीं होते। दूसरे शब्दों में, श्रम-आपूर्ति माँग से कही अधिक होती है। धारणा यह होती है कि मूल गाँव में जनाधिक्य है और वह गंतव्य गाँव की तुलना में कृषि के मामले में कम उत्पादनशील है। इस प्रकार के प्रवासन में प्रवासी अधिकांशतः पुरुष होते हैं। कभी-कभी परिवार के पुरुष सदस्यों के साथ महिलाएँ भी प्रवास करती हैं। भारत जैसे देशों में, अल्पवयस्क स्त्रियाँ उनके माता-पिता के गाँव से काफी दूर रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ ब्याह दी जाती हैं। कारण यह होता है कि विवाह 4-5 मील (4-8 किलोमीटर) के दायरे में नहीं किए जा सकते हैं। यह विवाह-निषिद्ध क्षेत्र वर्जित क्षेत्र माना जाता है। तथापि, यह प्रथा उत्तर भारत में ही देखी जाती है। ऐसी कोई प्रथा दक्षिण में नहीं है, जहाँ लड़कियों को आमतौर पर उन्हें उनके चचेरे अथवा ममेरे भाइयों के हाथ ब्याह दिया जाता है। तदनुसार, उत्तर भारत में महिलाओं के स्थान-परिवर्तन का काफी बड़ा अनुपात वैवाहिक रीति-रिवाजों से जुड़ा है।

प्रवासन अध्ययनों में महिलाओं की प्रायः उपेक्षा की जाती है। उन्हें माँओं, बेटियों, बहनों, एवं पत्नियों के रूप में अपनी हैसियत के अनुसार, उनके अपने पुरुष प्रतिपक्ष का अनुगामी समझा जाता है। परंतु हाल के वर्षों में नारी प्रवासन के विषय में इस स्थापित मिथक से जुड़ा एक परिवर्तन देखने में आया है। अब महिलाएँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने अथवा नए आर्थिक अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। यह शहरी के साथ-साथ सुदूर गंतव्य की ओर भी नारी प्रवासन के प्रतिमान में एक अनुकूल परिवर्तन को दर्शाता है। (भट्टाचार्य 2003 : 85-92; प्रेमी 1980; सिंह, थन्जनी व अन्य 1984)।

ग्रामीण-शहरी प्रवासन प्रवाह

भारत, नेपाल व बंगलादेश जैसे अल्प विकसित देशों में, ग्रामीण से शहरी प्रवासन एक सामान्य दृश्य घटना है। ऐसे भूभागों में जहाँ ग्रामीण जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है और

शहरी-औद्योगिक विकास गति तेजी पर है, ग्रामीण-शहरी प्रवाह सर्वाधिक व्याप्त है। ये नगर/शहर नज़दीकी अथवा दूरवर्ती गाँवों से "अधिशेष श्रमिकों" को आकर्षित करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती गरीबी, किंचित रोजगार अवसर, कम एवं अनिश्चित/अनियमित वेतन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, आदि मुख्य दबाव कारक हैं। ये दशाएँ लोगों को शहरी स्थानों की ओर प्रवासन हेतु प्रेरित करती हैं। कुछ मामलों में श्रमिक गाँव से ही बाहर चले जाते हैं। उनके पास ऐसे काम की तलाश में शहरी स्थानों की ओर चले जाने के सिवा कोई चारा नहीं होता जो उनका व उनके परिवार का भरण-पोषण कर सके। दूसरी ओर, शहरी स्थानों का आकर्षण ग्रामीण जनता को प्रवासन हेतु प्रेरित करता है। यह प्रक्रिया बेहतर रोजगार अवसर, नियमित एवं नियत वेतन एवं प्रत्याशित रूप से बेहतर जीवन-स्तर हेतु प्रवासी श्रमिकों की अभिलाषाओं से जुड़ी है। परंतु ये उम्मीदें प्रायः केवल सपना ही साबित होती हैं। एक सम्बद्ध समस्या इस शिक्षित युवावर्ग का बहिर्प्रवसन है जिसके लिए मूल गाँवों/कस्बों में रोजगार अवसर विरले ही उपलब्ध होते हैं। इससे वे शहरी स्थानों की ओर प्रवास करने को बाध्य हो जाते हैं। शहर की ओर ऐसा अनियंत्रित प्रवासन नगरों/शहरों में आवास की समस्याओं की ओर प्रवृत्त करता है। ग्रामीण गरीब वर्ग बस्तियों एवं अवैध आवासों में स्थान पाता है, जिन्हें शहर में मलिनावास या गंदी-बस्ती (स्लम) कहा जाता है। इस प्रकार के प्रवासियों के लिए वास-स्थान बदलना है, लेकिन जीवन-स्तर वही रहता है।

बॉक्स 26.1 : ग्रामीण प्रवासियों की दुर्दशा

तथापि एक काफी बड़ा भाग, खासकर आंतरिक प्रवासन का, आपदा-प्रेरित होता है, जिसके कारक होते हैं — ग्रामीण रोजगार जनन का पूरी तरह ध्वस्त हो जाना, खेती की आर्थिक दिक्कतें, और साथ ही, नगरों/कस्बों में अपर्याप्त रोजगार अवसर। यही कारण है कि आज भारत में अधिकांश प्रवासी कर्मचारी गरीब और ऐसे किंचित ही संसाधन एवं सामाजिक तानेबानों से सम्पन्न हैं जो एक अभिघातज एवं पीड़ादायक प्रक्रिया को कम कर सकते थे। तिस पर भी सरकारी नीति इसके उपशमन हेतु किंचित ही प्रयास करती है — वस्तुतः, अधिकांश सरकारी हस्तक्षेप एवं विनियमन इस प्रक्रिया को और भी अधिक कठिन एवं अभिघातज बनाने के लिए प्रभावी रूप से काम करते हैं।

आइए, आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में एक ग्रामीण कुटुंब की नियति पर विचार करते हैं, जोकि एक स्थान था जहाँ काम के लिए व्यापक प्रवासन ऐतिहासिक रूप से आम था परंतु अब यह संक्रामक संतुलन में पहुँच गया है। एक भूमिहीन श्रमिक जो गाँव के भीतर अथवा पड़ोस के गाँवों में काम पाने में अक्षम है, भिन्न-भिन्न फसल-ऋतुओं वाले अन्य कृषि क्षेत्रों में, नजदीकी अथवा दूरवर्ती नगरों/कस्बों में कोई और खेत तलाश कर लेने पर बाध्य किया जाता है। यदि वह अपेक्षाकृत रूप से भाग्यशाली हुआ/हुई तो किसी ऐसे ठेकेदार से सम्पर्क हो जाएगा जो कार्य-स्थल हेतु सामूहिक परिवहन की व्यवस्था कर देगा। यह कुछ कार्यकलापों, जैसे फसल-कटाई हेतु खेत में काम करना अथवा किसी निर्माण कार्यस्थल पर टोली बनाकर काम करना, या फिर ऐसे कामों को करना हो सकता है जिसमें एक निश्चित अवधि के लिए श्रमिक-समूह की आवश्यकता होती है। वास्तव में, भोजन जैसी मूलभूत आवश्यकताओं अथवा सुख-सुविधाओं के अभाव में यात्रा कठिन, कार्य अतृप्त एवं जीवन-दशाएँ संभवतः बहुत अपर्याप्त होंगी (वस्तुतः श्रमिकों से प्रायः अपेक्षा की जाती है कि वे अपने खुद के अस्थायी आवास बनाएँ।) पूरी संभावना के साथ, इन श्रमिकों का आर्थिक लिहाज से भी ठेकेदार द्वारा शोषण किया जाएगा ताकि उन्हें इस तमाम मशक्कत से बचत के रूप में बहुत थोड़ी सी ही आय प्राप्त हो।

इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के असुरक्षित देशांतरण में काफी महिलाएँ शामिल हैं, जिसके प्रायः घातक परिणाम होते हैं। स्पष्ट है कि इस प्रकार का प्रवासन खतरों से खाली नहीं होता, विशेषतः महिलाओं के लिए, जो अन्य समस्याओं के साथ-साथ स्वयं को यौन-शोषण एवं हिंसा की संभावना के प्रति प्रस्तुत कर देती हैं। महिलाओं और यहाँ तक कि अल्पवयस्क लड़कियों के भी अनेक उदाहरण मौजूद हैं जहाँ उनका बस-स्टैण्ड अथवा ऐसे ही अन्य स्थानों पर सोने की कोशिश करते हुए शारीरिक शोषण किया गया। इसमें से अधिकांश की रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होती क्योंकि स्थानीय पुलिस प्रायः ऐसी अभिकथित घटनाओं की रिपोर्ट लिखने में ज्यादा जहमत नहीं उठाते हैं जिनमें पीड़ित अन्य क्षेत्रों से आए गरीब लोग होते हैं।

प्रवासियों के रूप में श्रमिकों को तब कोई स्वास्थ्य रक्षा हेतु जन-सुविधाएँ भी सुलभ नहीं होतीं, क्योंकि वे उस क्षेत्र के निवासी नहीं होते। वे राशन की दुकानों से अपनी खाने की आवश्यक वस्तुओं को खरीद पाने में भी अक्षम होते हैं क्योंकि उनके पास उस स्थान हेतु वैध राशन-कार्ड नहीं होता। यदि वे छोटे बच्चों के साथ आते हैं तो वे अपनी कानूनन मान्यताप्राप्त आवश्यकताओं के वास्ते उन्हें स्थानीय सरकारी स्कूलों, या फिर स्थानीय आँगनवाड़ी तक में दाखिल करा पाने में सक्षम नहीं होते। उनकी सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों द्वारा उपेक्षा की जाती है, जिनमें प्रतिरक्षाकरण अभियानों जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य रक्षा विषय भी शामिल हैं।

और फिर सार्वजनिक करण-अकरण संबंधी अन्य पापकर्म भी हैं जो ऐसे प्रवासियों को सीधे प्रभावित करते हैं। ऐसे कोई सरकारी सहायता केंद्र, सूचना कार्यालय, अथवा शिकायत कक्ष नहीं हैं जहाँ वे किसी भी प्रकार की शिकायत का समाधान करा सकें, चाहे वह वेतन न दिए जाने से जुड़ी हो, या कार्य की खराब दशाओं संबंधी या फिर शारीरिक शोषण एवं हिंसा से जुड़ी। इसकी बजाय, गंतव्य-स्थल पर स्थानीय अधिकारीतंत्र प्रतीकात्मक ढंग से प्रवासियों को परिभ्रामी अर्थात् घुमन्तू अथवा उपद्रवियों के रूप में देखता है, उनके प्रति आक्रामक रुख अपनाता है और प्रवासियों के लिए मुसीबत का एक और स्रोत बन जाता है।

व्यथा आर्थिक प्रवसन, जोकि अपेक्षाकृत अल्पावधि प्रकृति का होता है, अब भारत में सामाजिक जीवन का एक आधारभूत अभिलक्षण बन गया है। यह समष्ठि-आर्थिक स्थिरता में योगदान देता है, बावजूद उन पर अत्याधिक न्यायालयवाद व्यय थोपे जाने के, जो उसे झेलने पर बाध्य होते हैं। यही समय है कि नीति-निर्माता एवं जनता इसके बहुपक्षीय निहितार्थों के प्रति अधिक संवेदनशीलन हो जाएँ, और यह सुनिश्चित करने के लिए जो भी कदम आवश्यक हों, उठाएँ कि व्यथा-प्रेरित कोई भी चीज और अधिक मानसिक आघात को जन्म न दे।

(**स्रोत** : जयती घोष, फ्रंटलाइन, खंड 22, अंक 10, मई 07-20, 2005)

शहरी-शहरी प्रवासन प्रवाह

शहरी से शहरी प्रवासन एक सामान्य दृश्यघटना है, विश्व के अन्य रूप से शहरीकृत भागों के साथ-साथ अल्प-विकसित देशों में थी। लोग एक शहरी स्थान से दूसरे शहरी स्थान को जाते हैं। सबब होता है— अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु काम तलाशना। यह एक आम अभिलक्षण है कि बड़े शहर अपने पड़ोस स्थित छोटे नगरों से लोगों को आकर्षित करते हैं। यह बात विशेष रूप से कुशल श्रमिकों के मामले में सत्य है। यह प्रथा क्रमवार (step-wise) प्रवासन कहलाती है। प्रथम चरण होता है अपने गाँव से किसी छोटे कस्बे/नगर में जाना; दूसरा चरण होता है उस छोटे नगर/कस्बे से किसी बड़े शहर में चले जाना। शहरी से शहरी प्रवासन एकाधिक कारणों से होता है— आर्थिक के साथ-साथ सामाजिक-सांस्कृतिक भी। तेजी से बढ़ते शहर को श्रमिक आपूर्ति का यही मुख्य जरिया है।

शहरी से ग्रामीण प्रवासन एक प्रकार का प्रति-प्रवाह है। ऐसा इसलिए होता है कि विकसित देशों में वृहद् महानगर। बड़े शहर शहरीकरण का एक ऊँचा स्तर प्राप्त कर लेते हैं, जोकि अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र में ग्रामीण श्रमिकों के समावेशन हेतु संभावना बढ़ा देता है। यह शहरों के अतिसंकुलन एवं फलस्वरूप पर्यावरण प्रदूषण व खराब स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की वजह से आवास संबंधी समस्याओं की ओर भी प्रवृत्त करता है। यह प्रायः प्रवासियों को अपने मूल गाँवों की ओर लौटने पर मजबूर करता है। उल्लेखनीय है कि विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्र आमतौर पर अल्पविकसित ही होते हैं। वहाँ ग्रामीण गरीब वर्ग को समायोजित करने हेतु संरचनात्मक सुविधाओं का अभाव होता है। विकसित देशों की कहानी एकदम अलग है। वहाँ के शहरों में यातायात का एक सुविकसित तानाबाना होता है जो सुदक्ष रूप से कार्य करता है। लोग बिना किसी खास परेशानी के अपने आवास-स्थल से कार्य-स्थल के बीच रोजाना यात्रा करते हैं। भारत में अनेक सेवानिवृत्त लोग अपने मूल गाँवों अथवा छोटे नगरों में ही बस जाने की ओर उन्मुख रहते हैं जहाँ कि उनकी अपनी संपत्ति होती है अथवा इसे वह बाद में अर्जित कर लेते हैं।

ध्यान देने की बात है कि शहरी से ग्रामीण प्रवाह बहुत आम नहीं है। यह आमतौर पर तब होता है जब लोग सामाजिक असुरक्षा अथवा शत्रुवत शासन व्यवस्थाओं द्वारा निष्कासन के कारण किसी महानगर, जैसे कोलकाता या मुम्बई से भाग जाते हैं।

26.6 प्रवासन के कारक

ऐसे कारकों की एक पूरी श्रृंखला है जो प्रवासन का कारण बनते हैं। ये कारक मुख्यतः आर्थिक होते हैं, जैसे ऊँची आय, बेहतर रोजगार अवसर, एवं अनौपचारिक क्षेत्र में नौकरियाँ, और साथ ही, जीवन का एक बेहतर स्तर। विवाह, सामाजिक असुरक्षा, गृह-युद्ध एवं अंतर्नृजातीय संघर्ष महत्वपूर्ण सामाजिक कारक हैं, जो प्रवासन के निर्णय को प्रभावित करते हैं। ये कारक लोगों को उनके देहा-गृहों से बाहर धकेलते हैं। प्रवासन की ओर प्रवृत्त करते ये कारक क्षेत्र-क्षेत्र और शायद व्यक्ति-व्यक्ति के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं। जैसा कि ऊपर इंगित किया गया, दबाव एवं खिंचाव कारक प्रवासन के प्रवाहों को उत्पन्न करते हुए एक साथ काम करते हैं। दबाव कारक लोगों के बाहर निकल जाने पर बाध्य करते हैं, जबकि खिंचाव कारक लोगों को शहरी केंद्रों की ओर चले आने को आकर्षित करते हैं। देखा गया है कि प्रवासन औद्योगीकरण, प्रौद्योगिकीय उन्नति और आम आदमी के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन-क्षेत्रों में विविध परिवर्तनों के कारण भी होता है। फिर कुछ अन्य कारक भी हैं, जैसे आर्थिक विकास में क्षेत्रीय विषमताएँ, किसी प्रदत्त क्षेत्र में अनुभूत रोजगार संभावनाएँ तथा शहर में वांछित सेवाओं हेतु माँग। इतिहास में असाधारण प्रकरण, जैसे युद्ध एवं आतंकवाद, भी प्रवासन की ओर प्रवृत्त करते हैं। अध्ययनों ने दर्शाया है कि प्रवासन की प्रक्रिया सरल नहीं वरन् एक जटिल दृश्यघटना है। प्रवासन को निर्धारित करने वाले कारकों को तीन प्रमुख श्रेणियों में बाँटा जा सकता है : आर्थिक, सामाजिक एवं जनसांख्यिकीय।

आर्थिक कारक

देखा गया है कि जनसमुदाय स्थानांतरण में आर्थिक कारक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रवासन की आगति एवं दिशा आर्थिक दशाओं पर निर्भर करते हैं। कृषिभूमि की उपलब्धता एवं जोतों का आकार भी प्रवासन को प्रेरित कर सकते हैं। लोगों की अवनत आर्थिक दशाएँ और उनकी गरीबी की स्थिति बहिर्प्रवसन की ओर प्रवृत्त करती हैं। आर्थिक संपन्नता में एक उच्च रोजगार संभावना होती है और यह अंतर्प्रवसन की ओर प्रवृत्त करती है। औद्योगिक एवं कृषिप्रधान देशों में औद्योगिक केंद्र सदा ही ग्रामीण दबाव की अपेक्षा

अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं। विकासशील देशों, जैसे भारत में, कृषि-विकास तेजी से हो रहा है। ये कारक लोगों को कृषिगत रूप से विकसित क्षेत्रों की ओर प्रवासन के लिए प्रेरित करते हैं, जहाँ व्यापक सिंचाई योजनाएँ, बीजों की ऊँची पैदावार वाली किस्में एवं यांत्रिक उपकरण हरितक्रांति ले आए हैं। पंजाब एवं हरियाणा में हरित-क्रांति क्षेत्रों में श्रमिकों की काफी अधिक माँग है। यह श्रमिक वर्ग उत्तरी भारत के अपेक्षाकृत अल्पविकसित क्षेत्रों में उपलब्ध होता है, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार। बेहतर परिवहन एवं संचार के साधनों की उपलब्धता भी लोगों को प्रवासन के लिए प्रोत्साहित करती है।

सामाजिक कारक

आर्थिक कारकों की भाँति, सामाजिक कारक भी प्रवासन को अभिप्रेरित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदहारण के लिए, महिलाएँ विवाहोपरांत अपने पिता के घर से अपने पति के घर चली जाती हैं। ऐसा देश में प्रचलित भारतीय परंपराओं एवं मूल्यों के कारण होता है। इस प्रकार के प्रवासन का आर्थिक लाभ से कुछ लेना-देना नहीं होता। **चंदना** का कहना है कि धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रवासन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। अन्य कारक भी प्रभावी होते हैं, जैसे सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति, सूचना नेटवर्क, सांस्कृतिक सम्पर्क, सामाजिक उत्थान की अभिलाषा, आदि। सामाजिक-आर्थिक संभावना को प्रवासन की व्याप्ति एवं दिशा निर्धारित करने हेतु एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में लिया गया है। भारत में, एक निम्न सामाजिक-आर्थिक प्रस्तर पर रहने वाले लोग अधिक गतिशील होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भूमि-सम्पदा नहीं होती जो उन्हें अपने मूल स्थानों से बाँधे रखे। इस बात के काफी प्रमाव मिलते हैं बेहतर शिक्षित, अधिक कुशल एवं आर्थिक रूप से सुसम्पन्न लोगों में प्रवासन की प्रवृत्ति अधिक है। उच्च प्रतिष्ठा वाली नौकरियों के लिए श्रम-बाजार सार्वत्रिक होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि सभी उच्च पदस्थ समूह प्रवासन कर जाएँगे। उदाहरण के लिए, चिकित्सक, अभियंता, अधिवक्ता, वास्तुकार एवं अध्यापक जो पहले ही स्थापित हों, आसानी से नहीं जाएँगे। इसी प्रकार, ऐसे समुदाय जिनके परिवार के साथ सशक्त साम्प्रदायिक संबंध होते हैं, प्राचीन परंपरा एवं रीति-रिवाज निभाते हैं और आसानी से गमन नहीं करते हैं। आज के युग में सूचना नेटवर्क (इंटरनेट), ई-मेल एवं सांस्कृतिक संपर्कों ने रोजगार अवसरों का कार्यक्षेत्र विस्तीर्ण कर दिया है। कभी-कभी, सरकारी नीतियाँ भी प्रत्याशियों को किसी दिशा-विशेष में चले जाने में मदद करती हैं।

जनसांख्यिकीय कारक

ऐसे अनेकों जनसांख्यिकीय कारक हैं जो व्यक्ति को प्रवास करने को प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए, प्रवासी की आयु एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय कारक है। अल्पवयस्क लोगों में पूर्ण वयस्क लोगों की अपेक्षा बहिर्प्रवसन की कहीं अधिक प्रबल इच्छा होती है। इसी प्रकार, आर्थिक विकास में क्षेत्रीय विषमताएँ भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वास्तव में, जनसंख्या में स्वाभाविक वृद्धि की उच्च दर बहिर्प्रवसन हेतु आधार प्रदान करती है। कहा जाता है कि जनसंख्या की वृद्धि दर, अन्य बातों के अलावा, एक प्रदत्त भौतिक क्षेत्र में जनसंख्या दबाव की व्याप्ति को निर्धारित करती है। अटलांटिक के पार यूरोपीय जनसमुदाय का आवागमन प्रवसन के एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करते हुए आर्थिक विकास हेतु संभावना में एक अंतराल का उदाहरण है। समकालीन भारत में, जनसंख्या का पुनर्वितरण अंशतः क्षेत्रीय विकास में विषमताओं से जुड़ा हुआ है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया, बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के सघन रूप से बसे भागों से बड़े पैमाने पर बहिर्प्रवसन अधिकांशतः मूल गाँवों में घटते भू-संसाधनों की वजह से है।

यह, बहरहाल, उल्लेखनीय है कि प्रवासन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक अनेक हैं और कोई एक कारण एवं प्रभाव संबंध स्थापित करना आसान नहीं है। हाल के

अनुसंधान ने समष्टि स्तर पर विविध कारकों की भूमिका को उजागर किया है। समष्टि स्तरीय अध्ययन प्रवसन के कारकों की कहीं अधिक बोधगम्य तस्वीर प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रवासी चयन

प्रवासी चयन की संकल्पना दर्शाती है कि एक आयु एवं व्यवसाय विशेष में कुछ समूह दूसरों की अपेक्षा प्रवासन के पक्ष में अधिक रहने की संभावना रखते हैं। प्रवासन के कारणों, प्रकार एवं परिणामों के साथ प्रभावशाली ढंग से पेश आने के लिए वह सबसे पहले बताया जाना चाहिए कि प्रवासन प्रक्रिया चयनात्मक क्यों है। जनसमुदाय के कुछ घटक दूसरों की अपेक्षा अधिक प्रवासी होने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसी को प्रवासी चयन कहा जाता है। वास्तव में, छोटे वयस्क और बड़े तरूण पूर्व वयस्कों के मुकाबले अधिक प्रवासन की प्रवृत्ति रखते हैं। "उन्नीसवीं शताब्दी में अमेरिका में प्रवेश करने वाले लाखों आप्रवासियों में से दो-तिहाई से लेकर तीन-चौथाई तक 15-40 वर्ष आयु के बीच होते हैं।" "आयु के अतिरिक्त, लिंग भी प्रवासी चयन का एक महत्वपूर्ण घटक है। यद्यपि ऐसे कोई सार्वत्रिक नियम नहीं है, बहिर्प्रवसन प्रमुख रूप से पुरुष-प्रधान होता है। प्रस्थान का क्षेत्र अधिक सशक्त रूप से नारी-प्रधान बन जाता है, जबकि आगमन का क्षेत्र अधिकता से पुरुषों के वृहद् भाग द्वारा अभिलक्षित होता है" (त्रेवर्दा 1969 : 137; बॉक्स 4 भी देखें)।

अतएव यह कहा जा सकता है कि कुछ व्यावसायिक समूह दूसरों की अपेक्षा प्रवासन की अधिक संभावना रखते हैं। प्रवासी चयन का यह एक उपयुक्त उदाहरण है। "साधारणतः चयन प्रस्थान की जगह वाली दशाओं की अपेक्षा गंतव्य की जगह वाली दशाओं पर अधिक निर्भर प्रतीत होता है।" (त्रेवर्दा 1969 : 138-139)।

सोचें और करें 26.2

1) भारत में प्रवासन प्रतिमान का मुख्य प्रवाह आप किसे मानते हैं?

2) क्या आप मानते हैं कि राज्य को प्रवसन पर नीति बनानी चाहिए, ताकि यह प्रवासियों की दुर्दशा को सुधार सके?

3) भारत में अंतर्प्रवसन किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय अथवा बाहरी प्रवसन से भिन्न है?

26.7 प्रवासन का प्रभाव

प्रवासन कोई साधारण दृश्यघटना नहीं है। यह गृह-ग्रामों के साथ-साथ गंतव्य के क्षेत्रों में भी जनसमुदाय संरचना में परिवर्तन ला देती है। यह आमतौर पर विदित है कि जनसमुदाय प्रवासन के पश्चगामी के साथ-साथ अग्रगामी संबंध भी होते हैं। वास्तव में, यह एक सशक्त उत्प्रेरक अभिकर्त्ता है। यह प्रवासियों एवं उनके परिवारों को गंतव्य क्षेत्रों/देशों में आत्म-निर्भरता के स्तर-विशेष एवं जीवन के एक बेहतर स्तर को पा लेने में मदद करता है। वास्तव में, प्रवासन की व्याप्ति पर निर्भर करते हुए, देश और विदेश दोनों में जनसमुदाय संघटन में परिवर्तन आता है। अधिक महत्वपूर्ण रूप से, जनसांख्यिकीय परिदृश्य में प्रचण्ड रूप से परिवर्तन आता है, जो संस्कृति, भाषा, जीवनस्तर की गुणवत्ता, एवं ज्ञान के अंतर्वाह की ओर प्रवृत्त करता है। आप्रवासी स्वयं को गंतव्य देशों में विद्यमान दशाओं के प्रति अनुकूलित कर लेते हैं। प्रवासन एक सांस्कृतिक परिवर्तन ले आता है जिसकी एकाधिक शाखा-प्रशाखाएँ होती हैं। यहाँ तक कि स्थान नाम भी गंतव्य-क्षेत्रों तक पहुंच जाते हैं। उदाहरण के लिए, न्यू लंदन, न्यूयॉर्क (दोनों अमेरिका में), न्यू साउथ वेल्स (ऑस्ट्रेलिया), न्यू प्लाइमाउथ (न्यूजीलैंड), न्यू कैसल (ऑस्ट्रेलिया), आदि सभी मानवेच्छा के ऐसे उदाहरण हैं जो उनके द्वारा छोड़कर आए गए स्थानों की स्मृतियों को ताजा रखेंगे। ब्रिटिश भारत के विभाजन उपरांत पाकिस्तान प्रवासित मुसलमानों ने वहाँ अपनी बस्तियों के नाम भारत स्थित गृह-नगरों के नाम पर रख लिए, विशेष रूप से सिंध प्रांत।

बताया जाता है कि गंतव्य क्षेत्र आमतौर पर लाभांवित होते हैं, जबकि मूल क्षेत्र नुकसान में रहते हैं। जब शैक्षिक रूप से योग्यता प्राप्त कार्मिक बाहर जाते हैं तो उनका प्रवासन "प्रतिभा पलायन" अर्थात् बुद्धिजीवियों का विदेश चले जाना कहलाता है। इस प्रकार का प्रवासन गंतव्य देशों के आर्थिक विकास में एक महती भूमिका निभाने की संभवना रखता है। तथापि, मूल क्षेत्र भी प्रवासियों द्वारा किए जाने वाले धन-प्रेषण से लाभांवित होते हैं। उदाहरण के लिए, जर्मनी में तुर्की के श्रमिक और सिंगापुर में फिलीपीन्स की नौकरानियाँ दीर्घ काल से ही इन श्रम-अभाव क्षेत्रों के आर्थिक में एक अतिमहत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं परिवर्तन के अन्य आयाम भी देखने में आते हैं। योग्यता प्राप्त श्रमिकों, जैसे वैज्ञानिक, अभियंता, खासकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, का प्रवासन स्वदेश में बेरोजगारी घटाने और गंतव्य क्षेत्रों में अपनी सेवाओं के माध्यम से आय कमाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत सदा ही अपने उच्च योग्यता प्राप्त कार्मिकों के विश्व के अन्य भागों, जैसे पश्चिम एशिया, खासकर खाड़ी क्षेत्र में उत्तरोत्तर बहिर्प्रवसन के कारण काफी नुकसान उठाता रहा है। लोग इसलिए बाहर चले जाते हैं क्योंकि यूरो-डॉलर की चमक उन्हें आकर्षित करती है। वे जाहिराना तौर पर अपने गृह-प्रदेश में अपनी आर्थिक दशाओं से खुश नहीं होते। वहाँ पहुँच कर वे अपने परिवार में बदलाव ले आते हैं। गंतव्य देशों में अंतर्नृजातीय विवाह प्रायः होते हैं। अनिवासी भारतीयों (एन आर आई) का एक नया वर्ग उभरकर आया है। वे न सिर्फ घर रुपया भेजते हैं बल्कि अपने साथ नए सांस्कृतिक प्रभाव भी ले आते हैं। विचारधाराएँ बदलती हैं और भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया संस्कृतियों एवं नवप्रर्वतनों के प्रसरण एवं संश्लेषण हेतु एक आम माध्यम बन जाती है।

कभी-कभी जनसमुदाय संचलन मात्रात्मक रूप से सशक्त होता है। इस स्थिति में परिवर्तन सर्व-समावेशकारी होता है। उदाहरण के लिए, विभाजन पश्चात् बिहार और उत्तर प्रदेश के मुसलमान पश्चिमी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में चले गए। कराची, हैदराबाद एवं पड़ोस के छोटे नगरों में आप्रवासीजन एवं उनकी बस्तियाँ पूर्व-स्थित सिंधियों के लिए खतरा बन गए। शीघ्र ही ये आप्रवासी अंतर्नृजातीय टकरावों एवं गृह-युद्ध की ओर प्रवृत्त करते तनाव का स्रोत बन गए।

26.8 प्रवासन प्रवृत्तियाँ

अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासन

"अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन" शब्द एक राष्ट्र व दूसरे के बीच प्रचलित आवास के परिवर्तन की ओर संकेत करता है। सीमाओं के पार ऐसे प्रवासियों के बहुत बड़े बहुमत का अर्थ अनिवार्यतः यह नहीं है कि उन्होंने अपने प्रचलित निवास को बदलने का फैसला कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय एवं आंतरिक, दोनों प्रकार के प्रवासन में प्रचलित आवास का परिवर्तन शामिल होता है। एक अन्य रोचक अभिलक्षण यह है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन का अभिलिखित उल्लेख अनभिलिखित/अप्राधिकृत प्रवासन की अपेक्षा काफी कम मिलता है। ऐसा इसलिए है कि लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ गुपचुप ढंग से पार करते हैं। किसी भी उदाहरण में, विशुद्ध अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासन सदा ही प्रवेश के देश में जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक रहा है। उल्लेखनीय है कि उत्प्रवासन के फलस्वरूप छोड़े गये देशों के जनसंख्या संघटन में महत्वपूर्ण परिवर्तन दर्ज किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की एक नीति-अभियुक्ति के अनुसार, एक वर्ष से अधिक किसी भी साभिप्राय वास के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्थान-परिवर्तन को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन की श्रेणी में लिया जाए। दुर्भाग्यवश, अंतर्राष्ट्रीय स्थान-परिवर्तन प्रवासन की परिभाषा पर देशों के बीच कोई एकरूपता नहीं है। अनेक सरकारें, जिनमें अमेरिकी सरकार शामिल है, आप्रवासन पर आँकड़े एकत्र करती हैं परंतु उत्प्रवासन पर नहीं। सरकारों द्वारा प्रकाशित आप्रवासन विषयक सभी आँकड़े केवल वैध आप्रवासन

को दर्शाते हैं जबकि अवैध अथवा अनभिलिखित आप्रवासन विषयक आँकड़े सारणीबद्ध नहीं मिलते (बर्गटा 1992 : 986-87)। सूचना में यह अंतराल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के अध्ययन में एक गंभीर बाधा है।

भारत में प्रवासन प्रवृत्तियाँ

भारत में प्रवासन-प्रवृत्तियों को दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है : अंतःराज्यीय (Intrastate) प्रवासन और अंतर्राज्यीय (Interstate) प्रवासन। प्रयुक्त शब्दावली भ्रामक सिद्ध न हो इसलिए कुछ उदाहरण दृष्टव्य है। जब कोई परिवार उत्तर प्रदेश स्थित आगरा जिले से पड़ोस से राजस्थान स्थित भरतपुर जिले की ओर चला जाता है तो इसे अंतर्राज्यीय प्रवासन कहा जाऐगा, बेशक तय की गई दूरी कम है। दूसरी ओर, यदि कोई परिवार अथवा अविवाहित व्यक्ति आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले से उसी राज्य में आदिलाबाद अथवा गुण्टुर जिले में रहने लगता है तो इसे अंतःराज्यीय प्रवासन कहा जाएगा, यद्यपि काफी लम्बी दूरी तय की गई है। अतएव यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दूरी कोई निर्याणक कसौटी नहीं है।

अंतःराज्यीय प्रवासन

अध्ययन दर्शाते हैं कि भारत में प्रवासीजन आमतौर पर लम्बी दूरियाँ तय नहीं करते हैं। वे सामान्यतया अपने जन्म/मूल राज्य के भीतर ही स्थान परिवर्तन करते हैं। इस प्रकार का प्रवासन अंतःराज्यीय कहलाता है। जनगणना अभिलेखों के आधार पर अनुमान दर्शाते हैं कि लोग अधिकांशतः एक ही राज्य में एक गाँव से दूसरे की ओर स्थानांतरण करते हैं। ऐसे लगभग 20 करोड़ लोग हैं जो सामान्यतः राज्य के भीतर ही स्थान-परिवर्तन किए हुए हैं। यह श्रेणी कुल प्रवासियों का लगभग 70 प्रतिशत है। दूसरी ओर, केवल नौ प्रतिशत प्रवासी ही छोटे नगरों/कस्बों से शहरों की ओर स्थानांतरित हुए हैं। लगभग 15 प्रतिशत अंतःराज्यीय प्रवासीजन ग्रामीण से शहरी इलाकों की ओर जाते हैं, जबकि छह प्रतिशत ही उल्टी दिशा, यथा शहरी से ग्रामीण इलाकों, की ओर जाते हैं।

एक रोचक तथ्य यह है कि कुल मिलाकर लगभग 75 प्रतिशत अंतःराज्यीय प्रवासी स्त्रियाँ हैं। यह दर्शाता है कि भारत में नारी-प्रवसन का अधिकांश भाग विवाह से जुड़ा है। लगभग सात प्रतिशत नारी-प्रवासी एक शहरी केंद्र से दूसरे की ओर जाते हैं; लगभग 12 प्रतिशत ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर स्थान-परिवर्तन करते हैं।

प्रवासियों में लगभग पाँच करोड़ पुरुष हैं। वे मुख्यतः ग्रामीण से ग्रामीण प्रवाह में चलते हैं। यह प्रवाह शहरी से शहरी श्रेणी का लगभग एक-बटा-छह भाग है। लगभग एक-चौथाई भाग ग्रामीण से शहरी और 8 प्रतिशत शहरी से शहरी प्रवाह में है।

अंतर्राज्यीय प्रवासन

प्रवासन पर जनगणना आँकड़े दर्शाते हैं कि भारत में अंतर्राज्यीय स्थान-परिवर्तन अंतःराज्यीय प्रवासन के मुकाबले काफी कम है। कुल मिलाकर लगभग 2.7 करोड़ प्रवासी राज्य-सीमाओं को पार करते हैं। इनमें से एक-तिहाई से कुछ कम ही ग्रामीण से ग्रामीण प्रवाह से संबंध रखते हैं; दूसरा एक-तिहाई शहरी से शहरी प्रवाह से संबंध रखता है और तीसरा तिहाई ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर स्थानांतरण करता है। शहरी से ग्रामीण इलाकों की ओर जाने वाले कुल प्रवासी मात्र सात प्रतिशत हैं। आँकड़े दर्शाते हैं कि अंतर्राज्यीय प्रवासियों की श्रेणी में कोई 1.5 करोड़ महिलाएँ भी शामिल हैं। उनमें लगभग दो-बटे-पाँच भाग ग्रामीण इलाकों के ही भीतर, लगभग एक-तिहाई शहरी क्षेत्र में, यथा वे एक शहरी केंद्र से दूसरे में जाते हैं; इस श्रेणी के लगभग एक-चौथाई शहरी स्थानों से गाँवों की ओर स्थानांतरण करते हैं।

26.9 निष्कर्ष

हमने भारत में प्रवासन के विभिन्न पहलुओं को देखा। हमने यह जानने का प्रयास किया कि प्रवासन का क्या अर्थ है और प्रवासन को समझने के लिए समाजशास्त्रियों एवं जनसांख्यिकीविदों द्वारा की गई कुछ समुक्तियों पर भी नजर डाली। हमने विभिन्न प्रवाहों, प्रवृत्तियों एवं कारकों का विश्लेषण किया जो कि विभिन्न प्रकार के प्रवासन में परिलक्षित होते हैं। वर्तमान भूमण्डलीकरण के दौर में प्रवासन निरंतर बढ़ता जा रहा है, खासकर परादेशीय प्रवासन और यह समाजों की नितांत प्रकृति को बदलता जा रहा है, मूल देशों में भी और उन देशों में भी जहाँ लोग प्रवास करते हैं। इससे प्रवासन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया बन जाती है जिसे पूरी तरह समझे जाने और विश्लेषित किए जाने की आवश्यकता है।

26.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

चन्दना, आर.सी. (1986), *ए जिओग्राफी ऑफ पॉपुलेशन*, कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली।

प्रेमी, एम.के. व अन्य (1983), *ऐन इन्ट्रोडक्शन टू सोशल डिमोग्राफी*, विकास पब्लिकेशंस, नई दिल्ली।

त्रेवर्दा, जी.टी. (1969), *ए जिओग्राफी ऑफ पॉपुलेशन : वर्ल्ड पैटर्न्स*, जॉन विली एंड संस इंक., लन्दन।